प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 18.09.2020

गैंगस्टर में वांछित 25,000-25,000 रुपये के दो पुरस्कार घोषित अपराधी अजीत व नरेश को अवैध असलहा मय कारतूस सहित थाना नरौरा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी डिबाई सश्री वंदना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण दिनांक 17.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना नरौरा श्री अमर सिंह मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना डिबाई से गैंगस्टर में वांछित 25,000-25,000 रूपये के दो पुरस्कार घोषित अपराधी कहीं जाने की फिराक में कस्बा नरौरा राजघाट पर खड़े है जिनके पास अवैध असलहा भी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक नरौरा मय पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये स्थान कस्बा नरौरा राजघाट पर पहुँचकर घेराबन्दी कर दोनों अभियुक्तगण अजीत व नरेश को अवैध तंमचे व एक छुरी सहित समय करीब प्रातः 04.30 बजे गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- अजीत पुत्र ओमपाल निवासी मौहम्मदपुर खुर्द थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।

2- नरेश पुत्र शंकरलाल निवासी ग्राम चौगानपुर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस

2- 01 छुरी नाजायज

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तगण अजीत व नरेश शातिर किस्म के अपराधी है तथा जिनके द्वारा संगठित गैंग बनाकर चोरी आदि घटनाएं कारित कर आर्थिक लाभ अर्जित करने के आशय से अपराध करने में सक्रिय रहने पर थाना डिबाई पुलिस द्वारा मुअसं-257/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध किया गया था। इस अभियोग में दोनों अभियुक्त अजीत व नरेश वांछित चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000-25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्तगण अजीत व नरेश के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर चोरी आदि संगीन अपराधों के निम्न अभियोग पंजीकृत हैं-

अभियुक्त अजीत का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-450/19 धारा 379,411,420 भादवि थाना डिबाई बुलन्दशहर।

2- मुअसं-55/20 धारा 379,411 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

3- मुअसं-56/20 धारा 379,411 भादवि थाना डिबाई बुलन्दशहर।

4- मुअसं-71/20 धारा 379,411 भादवि थाना अनूपशहर बुलन्दशहर।

5- मुअसं-257/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।**(वांछित)**

6- मुअसं-151/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नरौरा बुलन्दशहर।

अभियुक्त नरेश का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-450/19 धारा 379,411,420 भादवि थाना डिबाई बुलन्दशहर।

2- मुअसं-55/20 धारा 379,411 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

3- मुअसं-56/20 धारा 379,411 भादवि थाना डिबाई बुलन्दशहर।

4- मुअसं-71/20 धारा 379,411 भादवि थाना अनूपशहर बुलन्दशहर।

5- मुअसं-257/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।**(वांछित)**

6- मुअसं-152/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नरौरा बुलन्दशहर।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना नरौरा पर मुअसं-151/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 व मुअसं-152/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1- श्री अमर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नरौरा

2- उ0नि0 प्रदीप कुमार, का0 योगेश कुमार, का0 मोहित कुमार, है0का0 चालक सुभाष सिंह।